फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगानेर जयपुर

भंवर लाल वगै० बनाम कानाराम वगै०

रण संख्याः– 18/2009 दावा

ांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
29/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु नियत है वादीगण को दिनांक 25/4/22 साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। लेकिन वादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये। वादी को साक्ष्य पेश करने हेतु दि० 25/4/22 से 29/7/24 तक 17 पेशियाँ नियत की गई। वादीगण को साक्ष्य पेश करने हेतु दिनांक 13/5/24 को न्यायहित मे अंतिम अवसर दिया गया लेकिन वादीगण की ओर से साक्ष्य पेश नही किये। वादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने हेतु अनेक समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी वादीगण की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नही किये। आदेश 16 नियम 3 जा०दी० के तहत पक्षकार गवाह। साक्ष्य प्रस्तुत नही करने के लिए पर्याप्त कारण तथा जहाँ न्यायालय मे उपस्थित वाद का कोई पक्षकार, न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर, बिना किसी वैध कारण साक्ष्य प्रस्तुत करने से इन्कार कर देता है वहाँ न्यायालय उसके विरुद्ध निर्णय सुना सकता है या वाद के संबंध मे उचित आदेश दे सकता है। अतः प्रकरण वाद मे वादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अनेक समुचित प्रदान किये जाने पर भी वादीगण ने साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई। वादीगण ने न्यायालय के आदेशो की पालना नही की गई। अतः वादीगण का वाद आदेश 16 नियम 3 जा०दी० के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:05:04 IST
Reason: SelfAttested